

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एच-245) अलेसे- I/ 520

दिनांक:- 20.06.2025

आदेश

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान की साईट पर जारी प्रेस विज्ञप्ति एवं राजस्थान पत्रिका, समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी, श्रीगंगानगर-प्रथम, ईकाई द्वारा दिनांक 17.06.2025 को ट्रेप कार्यवाही कर श्री हेतराम ढालिया सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, कार्यालय, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को 15000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री हेतराम ढालिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I को गिरफ्तारी दिनांक 17.06.2025 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में उनका मुख्यालय कार्यालय कोषालय, बीकानेर में रहेगा।

श्री हेतराम ढालिया को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।



(बृजेश किशोर शर्मा)

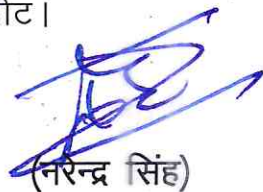
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एच-245) अलेसे- I/ 520

दिनांक:- 20.06.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर
- 3 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर।
- 4 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर।
- 5 कोषाधिकारी, बीकानेर।
- 6 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
- 7 श्री हेतराम ढालिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, कार्यालय, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को पालनार्थ।
- 8 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 9 जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
- 10 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



(नरेन्द्र सिंह)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-I)